

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिक्षा-मा / माध्य / अ-4 / क्रमोन्तति / रामावि / 21308 / 2021-22

दिनांक 15.11.21

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)-पञ्चमिक,

राजसमंद।

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरयडियों की भागल, ग्राम पंचायत-झालों की पदर विधानसभा-नाथद्वारा, ब्लॉक-छमनीर, जिला-राजसमंद को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्तत करने के संबंध में।

प्रसंग : शासन का पत्रांक- प. 11(1) शिक्षा-1 / 2019, जयपुर, दिनांक 15.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से जिला-राजसमंद प्रवास के दौरान की गई घोषणा के क्रियान्वयन के अनुसरण में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरयडियों की भागल(यूआईस कोड-08250522201), ग्राम पंचायत-झालों की पदर, विधानसभा-नाथद्वारा, ब्लॉक-छमनीर, जिला-राजसमंद को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरयडियों की भागल, ग्राम पंचायत-झालों की पदर, विधानसभा-नाथद्वारा, ब्लॉक-छमनीर जिला-राजसमंद में क्रमोन्तत किये जाने की स्वीकृति अग्रिम शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है -

1. विद्यालय क्रमोन्तत सत्र 2021-22 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारंभ की जा सकती है।
3. क्रमोन्तत कक्षाओं में प्रवेश देकर कक्षा संचालन की सूचना अधिकतम एक सप्ताह में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अलाहाबाद से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना को पूर्ति करवाकर शान्ता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
5. राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्तत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को क्रमोन्तत रामावि में शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
6. क्रमोन्तत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 60% में राउप्रावि परियोजना हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्तत रामावि में उनके विषय के हितकृत पद पर किया जायेगा।
7. शेष शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रेषित शाला दर्पण में 3 वीं में की जावेगी एवं वे अध्यापक 8 वीं की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्तत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्राथमिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
8. पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्तति की शक्तियों के लिए भण्डा हेतु गुणना की जा सकेगी।
9. विद्यालय के क्रमोन्तति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-आईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

सत्यमेव जयते

15.11.21

(काना राम)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रकार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

6. राजस्थान उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के रूप में ।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. जिलाय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्यिक)/उप निदेशक (संयोजन/सांख्यिकी) कार्यालय प्रकाश।
9. सभागीय संयुक्त निदेशक: स्कूल शिक्षा, उदयपुर।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पर्यटन जिला परियोजना समन्वयक, सामय शिक्षा अभिगम, गजमेर।
11. मुख्य स्नातक शिक्षा अधिकारी एवं स्नातक स्तर के प्रवर्धन, सामय शिक्षा अभिगम, जयपुर(राजस्थान)।
12. अनुसंधान अधिकारी सार्वभौम-एडी/सार्वभौम-एफ/बजट/मल्टीमीडिया/आदर्श वि/शास्त्र विशेष एवं अपवर्धन वि।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रमुख अ-1 जो पत्रों को सामग्री के आधार पर कार्यवाही करें।
14. रक्षित पत्रावली।

DL

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

